

पत्रांक : JS-10285/08 -929

झारखण्ड सरकार
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।


दाखिल करने का प्रमाण—पत्र

राँची, दिनांक : 13-9-08

आमरव रानी मैरिडिअन प्रबंध समिति,

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं :-

- (1) निबंधन शुल्क 50/- रुपया मात्र
- (2) आम सभा का प्रस्ताव
- (3) स्मृति पत्र,
- (4) नियमावली।


वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,


आमरव रानी मैरिडिअन प्रबंध समिति

आमरव रानी - विशुनपुर आश्रम रोड

पोरामा - कुमारी विमान

जिले - कोडरमा

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।


वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।



Nº 004533

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 352.

वर्ष 2008-2009.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि
प्रबंध समिति



अलखरानी प्रैरिडिअन

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख बुधवार 14 मास जुलाई वर्ष दो हजार आठ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्तु, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।